173

संख्या— /VI/2016—22(3)/2010—टी.सी—1.

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक 8 फरवरी, 2016**

विषयः— राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण चालू कार्यो हेतु बजट स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—452/ब.पत्रा/2015—16, दिनांक 07 जुलाई, 2015 एवं शासनादेश संख्या—532, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा ₹25.00 करोड़, शासनादेश संख्या—263, दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा ₹25.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या—27, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 द्वारा ₹20.00 करोड़ अर्थात कुल ₹70.00 करोड़ की धनराशि के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना की कुल लागत ₹237.20 करोड़ के क्रम में उक्त के सापेक्ष अब तक राज्य सरकार द्वारा कुल ₹70.00 करोड़ तथा सिडकुल द्वारा कुल ₹25.00 करोड़ अर्थात कुल ₹95.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत/उपलब्ध करायी गयी है। इस क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015—16 के प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित बजट में उपलब्ध **₹80.00 करोड़ (₹ अस्सी करोड़ मात्र)** के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹30.00 करोड़ (₹ तीस करोड़ मात्र)** की धनराशि चालू कार्यो हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने के दृष्टिगत एकमुश्त आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3— धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि की पार्किंग नहीं की जायेगी। आदेश निर्गत करने से पूर्व कार्य की वित्तीय व भौतिक प्रगति के पूर्णतः संतोषजनक होने के संबंध में सुनिश्चित हो लिया जायेगा।

4— उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0—08 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5— धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

...Desktop\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx

6— उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक में **अनुदान संख्या—11 लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—03—खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—17—अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण(एस0पी0ए0)—24—वृहद निर्माण कार्य मानक मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹80.00 करोड़ (₹अस्सी करोड़ मात्र) बजट प्राविधान होने के दृष्टिगत** इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 352(P)/XXVII(3)/2015—16, दिनांक 05 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

संख्या : 129/VI/2016—22(3)/2010—टी.सी—1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग—1/3, उत्तराखण्ड शासन।
5— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6— एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।